रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2001/वैशाख 4, 1923
No. 196] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2001/VAISAKHA 4, 1923

LIBRARY

जल भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2001

सा.का.नि. 284(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं सा.का.नि. 93(अ) तारीख 12 फरवरी, 2001 के साथ भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 12 फरवरी, 2001 में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 13 फरवरी, 2001 को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और केन्द्रीय सरकार ने जनता से प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार कर लिया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1989 (1989 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक मास पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,

(1) नियम 115 ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"115ग द्रवित पेट्रोलियम गैस (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् एल पी जी कहा गया है) द्वारा चालित यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मान :- (1) यानों के लिए जब वे एल पी जी पर चालित हों, द्रव्यमान उत्सर्जन मान, रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन को निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राक्कलित किया जाएगा :

आर एच सी = 0.5 × एच सी
जहां, आर एच सी = रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन
एच सी = कुल मापा गया हाइड्रोकार्बन

(2) मूल उपस्कर (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् ओ ई कहा गया है)
फिटमेन्ट वाले गैसोलीन यानों के लिए,-

(क) ऐसी दशा में, जहां नए पैट्रोल यानों पर, यान विनिर्माता द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस फिटमेन्ट की जाती है, वहां यान विनिर्माता द्वारा बनाया गया प्रत्येक माडल, विद्यमान टाइप अनुमोदन उत्सर्जन मान और यथा लागू इन नियमों के अनुसार अनुमोदित टाइप का होगा।

(ख) ऐसे यान का आधारिक माडल और उसके रूपान्तरण यथा लागू इन नियमों और इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट पैट्रोल मोड की दशा में, यान केवल क्रैंककेस और वाष्पणिक उत्सर्जन मानों को छोड़कर नियम 115 में यथा विनिर्दिष्ट द्रव्यमान उत्सर्जन मानों को पूरा करेगा।

(ग) किसी यान के ऐसे आधारिक माडल और उसके रूपांतरणों को, जब चार पहिए तिपहिए और दुपहिए यानों में क्रमशः 5 लीटर, 3 लीटर और 2 लीटर से अनधिक क्षमता की पैट्रोल टंकी लगी हो, इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण, क्रैंककेस उत्सर्जन परीक्षण और वाष्पणिक उत्सर्जन परीक्षण से छूट प्राप्त होंगे, किन्तु वे यथा लागू इन नियमों के अन्य उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

(घ) ऐसे यान दोनों तरह के ईंधनों जैसे एल पी जी और पेट्रोल, पर चलने में सक्षम होंगे।

(ङ) उत्पादन की विद्यमान अनुरूपता (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् सी ओ पी कहा गया है) प्रक्रिया भी लागू होगी।

(3) ऐसे गैसोलीन यानों के लिए, जो उपयोग में हैं,—

(क) ऐसे यान, जो उपयोग में हैं और जिनमें द्रवित पैट्रोलियम गैस किट लगी है, ऐसे टाइप अनुमोदन उत्सर्जन मानों का पालन करेंगे जो इन नियमों में, 1 अप्रैल, 1991 को इन नियमों के अधीन यथा लागू (सी ओ पी) मानों के अधीन रहते हुए, गैसोलीन यानों के लिए यान उत्पादन के वर्ष के अनुरूप विद्यमान विनिर्मित मान लागू है।

(ख) एल पी जी किट अनुमोदन के प्रयोजनों के लिए, किट विनिर्माता या प्रदायकर्ता, नियम 126 के अधीन प्राधिकृत किसी भी परीक्षण अभिकरण से, यान की क्षमता पर आधारित प्रमाण पत्र, निम्नलिखित रीति में अभिप्राप्त करेगा, अर्थात् :—

(i) यानों के लिए एल पी जी किट, यानों की मेक और माडल को ध्यान में न रखते हुए, घन सें. मी. में इंजन की क्षमता के अधार पर यानों के लिए टाईप अनुमोदित होगी। ऐसी किट किसी ऐसे यान में, जिसकी इंजन क्षमता ± 25 % सहयता की रेंज में है, पुनः किट मेन्ट के लिए उपयुक्त समझी जाएगी।

(ii) कार्बुरेटिड और मल्टी पाईन्ट फ्यूइल इन्जेक्शन से फिट किए गए यानों के लिए पृथक टाइप अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4) (क) एल पी जी किट को टाइप अनुमोदन मंजूर करने के प्रयोजन के लिए, परीक्षण अभिकरण द्वारा निम्नलिखित निष्पादन परीक्षण किए जाएंग :

(i) द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण

(ii) इंजन निष्पादन परीक्षण

(iii) अपरिवर्ती गति पर ईंधन उपयोग परीक्षण

(ख) खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट परीक्षण, इन नियमों के अधीन यथा लागू इंजन डायनमोमीटर या चैसीस डायनमोमीटर पर किए जाएंगे;

(ग) ऐसे किट संघटकों के लिए जिनके अंतर्गत संस्थापन भी है, सुरक्षा जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित ए आई एस. 025 डी में अंतर्विष्ट वृहत परीक्षण क्रिया या सुरक्षा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अलावा, उपाबंध VIII में विहित प्रतिमानों और मानों के अनुसार होंगे;

(घ) ओ ई फिटमेन्ट और ऐसे यानों में, जो उपयोग में हैं, पुनः फिटमेन्ट के लिए टाइप अनुमोदन का उत्तरदायित्व किट विनिर्माता और क्रमशः किट विनिर्माता या प्रदायकर्ता पर होगा;

(ङ) पुनः फिटमेन्ट के लिए एल पी जी किट का टाइप अनुमोदन, ऐसा अनुमोदन जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों के लिए विधिमान्य होगा और एक बार में तीन वर्ष के लिए नवीकरणीय होगा ;

(च) ऐसे यानों में, जो उपयोग में हैं, एल पी जी का पुनः फिटमेन्ट, यथा स्थिति, किट विनिर्माता/किट प्रदायकर्ता या यान विनिर्माताओं द्वारा प्राधिकृत कर्मशालाओं में किया जाएगा;

(छ) परीक्षण अभिकरण, किट अभिप्राप्त करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर परीक्षण पूरा करेगा और आवश्यक प्रमाणपत्र देगा ;

(ज) किट प्रदायकर्ता/ विनिर्माता ऐसे विभिन्न माडलों में, जिन पर कोई अनुमोदित किट लगाई जाती है, एल पी जी किट के पुनः फिटमेन्ट के लिए, परीक्षण अभिकरण को संवीक्षा और अनुमोदन के लिए प्रत्येक माडल के लिए पृथक

खाका योजना उपलब्ध कराएगा । किट का पुन: फिटमैन्ट केवल ऐसी अनुमोदित खाका योजना के आधार पर होगा।

5. 1 अप्रैल, 1991 के पश्चात् विनिर्मित यानों पर लगाई गई किटों को विशेष छूट उपलब्ध होगी उस दशा में जब वर्ष, 1991 में विनिर्मित यान पर 1 अप्रैल, 1991 को और उसके पश्चात् लगाई किट इन नियमों के अधीन इंडिया स्टेज I या भारत स्टेज II मानों को पूरा करती है तो वही किट जब उसे क्रमश: ऐसे इंडिया स्टेज I या भारत स्टेज II मानों की विधिमान्यता के अनुरूप विनिर्मित किया जाता है, उप नियम (3) के खंड (क) और (ख) के अंतर्गत आने वाले यानों और उसके रूपांतरणों पर लगाई जा सकती है

(ii) उपाबंध 7 के पश्चात् निम्नलिखित उपाबंध अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

[फा.सं. आर टी-11011/33/2000-एमवीएल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

उपाबंध-8

(नियम 115ग देखिए)

चार पहिए यानों (ए आई एस 026 डी 1) और दुपहिए तथा तिपहिए यानों (ए आई एस. 027 डी 1) को चलाने के लिए आन्तरिक दहन इंजन में एल पी जी ईंधन के प्रयोग के लिए सुरक्षा जांच और भारतीय गैस सिलेन्डर नियम, 1981 :

	एल पी जी किट संघटक	प्रभावकर्ता या सत्यापनकर्ता प्राधिकारी	ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी-1 के खंड/अन्य नियम, मान आदि
1	2	3	4
(1)	(क) चार पहिए यानों के लिए सिलेंडर — यान पर सिलेंडर का फिटमेंट	विदेशी मेक की दशा में, विस्फोटक विभाग, नागपुर प्रमाणित या पृष्ठांकित करेगा केन्द्रीय मोटर यान, 1989 (जिसे इस उपाबंध में इसके पश्चात् सी एम वी आर कहा गया है) के अधीन आन्तरिक दहन (जिसे इस उपाबंध में इसके पश्चात् आई सी कहा गया है) इंजन वाले यानों में द्रवित पेट्रोलियम गैस (जिसे इस उपाबंध में इसके पश्चात् एल पी जी कहा गया है) ईंधन के प्रयोग के लिए पद्धति सुरक्षा संहिता के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा सत्यापन किया जाना।	आई एस: 14899-2000 ए आई एस 026 डी 1 का खंड 8
	(ख) दुपहिए और तिपहिए यानों के लिए सिलेंडर*	विदेशी मेक की दशा में, विस्फोटक विभाग, नागपुर प्रमाणित या पृष्ठांकित करेगा	आई एस: 14899-2000
	— यान पर सिलेंडर का फिटमेंट	सी एम वी आर के अधीन दुपहिए और तिपहिए या ों को चलाने के लिए ईंजनों में एल पी जी ईंधन के प्रयोग के लिए पद्धति सुरक्षा संहिता के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा सत्यापन किया जाना।	ए आई एस 027 डी 1 का खंड 8
(2)	सिलेंडर वाल्व/बहु कृत्य वाल्व*	विदेशी मेक की दशा में, विस्फोटक विभाग, नागपुर प्रमाणित या पृष्ठांकित करेगा	समय-समय पर यथा संशोधित गैस सिलेंडर नियम, 1981
(3)	विनियामक वाष्पयन्त्र*	संयुक्त राष्ट्र ई सी ई विनियम सं. 67 के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा जांच रिपोर्ट के साथ प्रमाणपत्र की जांच या सत्यापन।	संयुक्त राष्ट्र ई सी ई विनियम सं. 67
(4)	गैस एयर मिक्सर*	संयुक्त राष्ट्र ई सी ई विनियम सं. 67 के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा जांच रिपोर्ट के साथ प्रमाणपत्र की जांच या सत्यापन।	संयुक्त राष्ट्र ई सी ई विनियम सं. 67

1	2	3	4
(5)	पेट्रोल और गैस सोलेनायड वाल्व*	संयुक्त राष्ट्र ई सी ई विनियम सं. 67 के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा जांच रिपोर्ट के साथ प्रमाणपत्र की जांच या सत्यापन।	संयुक्त राष्ट्र ई सी ई विनियम सं. 67 या समतुल्य मान
(6)	निम्नलिखित का निरीक्षण, जांच और संस्थापन प्रमाणपत्र	जांच अभिकरण द्वारा जांच किया जाना	ए आई एस 026 डी 1/ए आई एम 027 डी1 का खंड 14
	(क) रिसने की जांच		
	(ख) वाल्व में अधिक प्रवाह की जांच*		
	(ग) आटोमेटिक फिल लिमिटर*		
	(घ) कम्पार्टमेंट या उप-कम्पार्टमेंट		
(7)	फिलिंग कनेक्शन	जांच अभिकरण द्वारा यान पर संस्थापन की जांच किया जाना	परिशिष्ट ''क'' के अनुसार, ए आई एस 026 डी 1/ए आई एम 027 डी 1 का खंड (घ)
(8)	संवातन	जांच अभिकरण सत्यापन करेगा	ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी 1 का खंड 8 (ङ)
(9)	संनाल की जांच*	समतुल्य मान के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा जांच रिपोर्ट के साथ प्रमाणपत्र की जांच/ सत्यापन	ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी 1 का खंड 8 (च)(iii)
(10)	(क) एल पी जी ईंधन लाइन जो 1 कि.ग्रा./सें.मी.^{2} से अधिक है*		ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी 1 का खंड 9
	* दबाव की जांच	समतुल्य मान के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा जांच रिपोर्ट के साथ प्रमाणपत्र की जांच/ सत्यापन	ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी 1 का खंड 9 (i)
	इंजन की क्षमता के अनुसार नलिका का आकार	जांच अभिकरण द्वारा विनिर्माता की घोषणा का सत्यापित किया जाना	ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी 1 का खंड 9 (ii)
	यान पर फिटमेंट	पद्धति सुरक्षा संहिता के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा सत्यापन	ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी 1 का खंड (5)
	(ख) नम्य होज/ईंधन लाइन जो 1 कि. ग्रा./सें. मी.^{2} से अधिक नहीं है		ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी 1 का खंड 10
	सामग्री	समतुल्य मान के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा जांच रिपोर्ट के साथ प्रमाणपत्र की जांच/ सत्यापन	ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी 1 का खंड 9 (ii)(क)
	यान पर फिटमेंट	पद्धति सुरक्षा संहिता के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा सत्यापन	ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी 1 का खंड 10 (ख), 9(5)
	दबाव	समतुल्य मान के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा जांच रिपोर्ट के साथ प्रमाणपत्र की जांच/ सत्यापन	ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी 1 का खंड 10(क)(i)
	(ग) किसी रिसाव रहित दबाव को सहन करने के लिए ज्वाइंट और कनेक्शन	जांच अभिकरण द्वारा सत्यापन	ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी 1 का खंड 9(4) और 10(क)

1	2	3	4
(11)	कम्पार्टमेंट/उपकम्पार्टमेंट*	पद्धति सुरक्षा संहिता के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा की जाने वाली जांच	ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी 1 का खंड 8घ
(12)	एल पी जी प्रणाली के संस्थापन के लिए सुरक्षा जांच	पद्धति सुरक्षा संहिता के अनुसार जांच अभिकरण द्वारा की जाने वाली जाच	ए आई एस 026 डी 1/ए आई एस 027 डी 1 के सुसंगत खंड

*उदभव के देश के अधिकृत जांच अभिकरण द्वारा समतुल्य विहित मानो के अनुरूप जारी किया गया प्रमाणपत्र या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकृत जांच प्रयोगशाला द्वारा जारी की गई रिपोर्ट भी स्वीकार की जा सकेगी।

टिप्पण :— मूल नियम सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्त में उन्हें सा.का.नि. 221 (अ) तारीख 28-03-2001 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2001

G.S.R. 284(E).— Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicle Rules, 1989 was published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (I) dated the 12th February 2001 with the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways No. G.S.R. 93 (E) dated 12th February 2001 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing the Notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 13th February, 2001;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1989 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (3rd Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force after one month from the date of their final Publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, -

(I) after rule 115B, the following rule shall be inserted, namely :-

"115C. Mass emission standards for Liquefied Petroleum Gas, (hereinafter in this rule referred to as LPG), driven vehicles":- (1) Mass emission standards for vehicles when operating on LPG shall estimate, Reactive Hydrocarbon by the following formula:

$$RHC = 0.5 \times HC$$

Where;
RHC = Reactive Hydrocarbon

HC = Total Hydrocarbon measured

(2) **For Gasoline Vehicles with Original Equipment (hereinafter in this rule referred to as O.E.) Fitment, -**

(a) In case of LPG fitment done by vehicle manufacturers on new petrol vehicles, each model made by vehicle manufacturer shall be as type approved as per prevailing type approval emission norms and these rules as applicable;

(b) base model and variants of such vehicle shall conform to these rules as applicable and type approval emission norms in petrol mode as specified in these Rules. In the case of LPG mode, it shall meet mass emission norms as specified in rule 115 only excluding crankcase and evaporative emission norms;

(c) a vehicle base model and its variants fitted with petrol tank of capacity not exceeding 5 litres, 3 litres and 2 litres on 4-wheeler, 3-wheeler and 2-wheeler respectively, shall be exempted from mass emission tests, crank case emission test and evaporative emission test in petrol mode as specified in these rules, but shall comply with other provisions of these rules as applicable;

(d) such vehicle shall be capable of bi-fuel operation such as LPG and petrol;

(e) Prevalent Conformity of Production (hereinafter in this rule referred to as the COP) procedure shall also be applicable.

(3) **For in-use gasoline vehicles, -**

(a) the in-use vehicles fitted with LPG kits shall meet the type approval emission norms specified in these rules for gasoline vehicles as applicable to the corresponding year of manufacture of such vehicle, subject to minimum of COP norms as applicable on 1st April 1991 under these rules;

(b) for purposes of LPG kit approval, kit manufacturer or supplier shall obtain the certificate from any of the test agencies authorised under rule 126 based on capacity of vehicle, in the following manner, namely:-

(i) LPG kit for the vehicles shall be type approved for vehicles irrespective of make and model based on engine capacity in cubic cm. Such a kit shall be considered fit for retrofitment in any vehicle having engine capacity within a range of ±25% tolerance;

(ii) for carbureted and Multi-point fuel injection fitted vehicles, separate type approval shall be necessary.

(4) (a) For the purpose of granting type approval to LPG kit the following performance tests shall be carried out by the test agencies:

(i) Mass emission tests
(ii) Engine performance tests
(iii) Constant speed fuel consumption test

(b) The tests specified under sub-clause (ii) of clause (a) shall be carried out either on engine dynamometer or chassis dynamometer as applicable under these rules. However, in case of vehicle above 100 HP the tests shall be only on engine dynamometer;

(c) The safety checks for such kit components including installation shall be as per the norms and standards given in the Annexure VIII, apart from detailed test procedure or safety guidelines contained in AIS 025 D1, as approved by the Central Government from time to time;

(d) For OE fitment and retrofitment on "In-Use" vehicles, the responsibility of Type Approval shall be that of the vehicle manufacturer and kit manufacturer or supplier respectively;

(e) The Type Approval of LPG kit for retrofitment shall be valid for three years from the date of issue of such approval and shall be renewable for three years at a time.

(f) The retrofitment of LPG kits in on in-use vehicles, shall be carried out by workshops authorised by the kit manufacturer/kit supplier or vehicle manufacturers, as the case may be;

(g) The test agency shall complete the test and give necessary certificate within a period of three months from the date of receiving the kits;

(h) The kit supplier/manufacturer shall provide a layout plan for retrofitment of LPG kit in the respective models on which any approved kit is to be installed, to the test agency for vetting and approval. The retrofitment of the kit shall be on the basis of such approved layout plan only;

(5) Special exemption shall be available for kits fitted on vehicles manufactured after 1st April, 1991. In case a kit fitted on a vehicle manufactured in the year 1991 on and after 1st April, 1991, meets India Stage I or Bharat Stage II norms under these rules, the same kit can be installed on a vehicle falling under Clauses (a) and (b) of Sub-rule (3) along with its variants, manufactured up to the validity of such India Stage I or Bharat Stage II norms respectively;

(ii) After Annexure VII, the following Annexure shall be inserted, namely:-
"Annexure VIII"

[F. No. RT-11011/33/2000-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

ANNEXURE VIII

(See rule 115 C)

SAFETY CHECKS FOR USE OF LPG FUELS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINE TO POWER 4 WHEELED VEHICLES (AS PER AIS 026 D1) AND TWO AND THREE WHEELED VEHICLES (AS PER AIS 027 D1) AND INDIAN GAS CYLINDER RULES, 1981

LPG Kit Component		Certifying or Verifying Authority	Clause of AIS 026 D1 / AIS 027 D1/ Other Rules, Standards, etc.
1)	a) Cylinder for 4 wheeler*	• Department of Explosives, Nagpur to certify or endorse in case of foreign make	• IS : 14899 - 2000
	Fitment of cylinder on vehicle	• Test agency to verify as per safety code of practice for use of Liquified Petroleum Gas (hereinafter in this annexure referred to as LPG) fuels in Internal Combustion (hereinafter in this annexure referred to as IC) engined vehicles, under Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter in this annexure referred to as CMVR)	• Clause 8 of AIS 026 D1
	b) Cylinder for 2 and 3 wheeler*	• Department of Explosives, Nagpur to certify or endorse in case of foreign make.	• IS : 14899 - 2000
	Fitment of cylinder on vehicle	• Test agency to verify as per safety code of practice for use of LPG fuels in IC engines to power 2 and 3 wheelers, under CMVR.	• Clause 8 of AIS 027 D1
2)	Cylinder Valves / Multi-Function Valve*	• Department of Explosives, Nagpur to certify or endorse in case of foreign make.	Gas Cylinder Rules, 1981 as amended from time to time.
3)	Regulator / Vaporizer*	Testing or verification of certificate with test report by Test Agency as per United Nations, ECE Regulation No. 67	United Nations, ECE Regulation No. 67
4)	Gas-Air Mixer*	Testing or verification of certificate with test report by Test Agency as per United Nations, ECE Regulation No. 67	United Nations, ECE Regulation No. 67
5)	Petrol and Gas Solenoid Valves*	Testing or verification of certificate with test report by Test Agency as per United Nations, ECE Regulation No. 67	United Nations, ECE Regulation No. 67 or equivalent standard.

6)	Inspection, Testing & Commissioning Certificate a) Leak testing b) Excess flow valve test* c) Automatic fill limiter* d) Compartment or sub-compartment	To be tested by Test Agency	Clause 14 of AIS 026 D1 / AIS 027 D1
7)	Filling Connection	Installation on vehicle to be checked by Test Agency	As per Appendix A, Clause (d) of AIS 026 D1 / AIS 027 D1
8)	Ventilation	Test agency to verify	Clause 8 (E) of AIS 026 D1 / AIS 027 D1
9)	Testing of Conduit*	Testing/Verification of Certificate with Test Report by Test Agency as per equivalent standard.	Clause 8 (F) (iii) of AIS 026 D1 / AIS 027 D1
10)	a) LPG fuel line exceeding 1 kg/cm^2*		Clause 9 of AIS 026 D1/ AIS 027 D1
	• Pressure testing	Testing/Verification of Certificate with Test Report by Test Agency as per equivalent standard.	Clause 9 (i) of AIS 026 D1/ AIS 027 D1
	• Size of tube as per engine capacity	Manufacturer's declaration to be verified by Test Agency	Clause 9 (ii) of AIS 026 D1 / AIS 027 D1
	• Fitment on vehicle	Verification by Test Agency as per Safety Code of Practice	Clause 9 (v) of AIS 026 D1/ AIS 027 D1
	b) Flexible Hose / fuel line not exceeding* 1 kg/cm^2		Clause 10 of AIS 026 D1/ AIS 027 D1
	• Material	Testing/Verification of Certificate with Test Report by Test Agency as per equivalent standard.	Clause 9 (ii) (a) of AIS 026 D1/ AIS 027 D1
	• Fitment on vehicle	Verification by *Test Agency* as per Safety Code of Practice.	Clause 10 (B), 9(v) of AIS 026 D1/ AIS 027 D1
	• Pressure	Testing or Verification of Certificate with Test Report by Test Agency as per equivalent standard.	Clause 10 (A) (i) of AIS 026 D1/ AIS 027 D1

c) Joints and connections to withstand Pressure without any leakage	Verification by Test Agency	Clause 9(iv) & 10 (A) of AIS 026 D1 / AIS 027 D1
11) Compartment / Sub-compartment*	Test to be carried out by test agency as per Safety Code of Practice	Clause 8D of AIS 026 D1 / AIS 027 D1
12) Safety check for installation of LPG system	Safety checks to be carried out by test agency as per Safety Code of Practice	Relevant clauses of AIS 026 D1/ AIS 027 D1

*Certificate issued conforming to equivalent prescribed standards by accredited testing agency of the country of origin or a report issued by internationally accredited test laboratory may also be accepted.

Note : The Principal rules were notified vide G.S.R. 590(E) dated 2nd June, 1989 and were last amended vide G.S.R. No. 221(E) dated 28-03-2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.